न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 45/09

1. रामकिशन आत्मज श्री छोटू जी जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. धन्ना लाल आत्मज स्वर्गीय श्री घांसी जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. विमला पुत्री स्वर्गीय श्री घांसी जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय श्री घांसी जी जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. पुरूषोत्तम आत्मज स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. दुर्गाशंकर आयु 12 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जी ।
7. रूकमणी आयु 08 वर्ष ।
8. पंची आयु 08 वर्ष पुत्रियॉ स्वर्गीय श्री पन्ना लाल नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष विधवा पत्नी स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. श्रीमती संतोष विधवा पत्नी स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर
2. धन्ना
3. दामोदर
4. पप्पू पिसरान स्वर्गीय श्री रामनारायण जाति माली निवासीगण ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. बाबूलाल
6. सीताराम पिसरान स्वर्गीय रामनाथ जी जाति माली निवासी ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. उर्मिला
8. चन्दा बाई पुत्रियॉ स्वर्गीय श्री रामनारायण जी जाति माली निवासीगण ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. नाथी
10. घींसी
11. पार्वती पुत्रियॉ स्वर्गीय श्री रामरतन जी जाति माली निवासीगण ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

12. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, कोटा ।
13. तहसीलदार, सीएडी, कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2008 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 15.10.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के संयुक्त खाते में कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 872 रकबा 0.66 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 659 रकबा 0.71 हैक्टर वाके ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन में स्थित है । केचमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा केचमेंट कार्य सम्पन्न करके वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 659 रकबा 0.71 हैक्टर की केचमेट के दौरान की जाने वाली कटोती काटकर नये खसरा नम्बर 872 कायम करके 0.66 हैक्टर भूमि वादीगण को वापस पुनः लोटानी थी लेकिन केचमेंट अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके वादीगण को 0.66 हैक्टर के स्थान पर 0.35 हैक्टर कृषि भूमि कम करके लौटा दी एवं वादीगण के खेत के पास सिवायचक राजकीय कृषि भूमि 871 रकबा 0.20 हैक्टर कायम कर दिया जबकि वहॉ इस प्रकार की कोई राजकीय भूमि नहीं थी । खसरा नम्बर 872 रकबा 0.66 हैक्टर कृषि भूमि का ही भाग खसरा नम्बर 871 रकबा 0.20 हैक्टर जो मौके की स्थिति के अनुसार सही है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि राजकीय कृषि भूमि खसरा नम्बर 871 रकबा 0.20 हैक्टर को कृषि भूमि खसरा नम्बर 872 रकबा 0.66 हैक्टर में मर्ज की जाकर खसरा नम्बर 871 रकबा 0.20 हैक्टर को विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2008 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया तथा दिनांक 15.10.2008 से संशोधित निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2008 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हाल

खसरा नम्बर 871 की 0.10 हैक्टर भूमि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 एवं शेष 0.10 हैक्टर भूमि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 5 व 6 को खातेदार घोषित कर उनके खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 11 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 659 रकबा 0.71 हैक्टर भूमि स्थित थी । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 11 उक्त भूमि के खातेदार दर्ज हैं । वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 ने अपीलान्ट को एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 11 को पक्षकार बनाये बिना ही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्य बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपने पक्ष में पारित करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट खसरा नम्बर 659 रकबा 0.71 हेकटर हाल खसरा नम्बर 872 की भूमि के सहकृषक हैं । बाद केचमेंट मौके पर खसरा नम्बर 872 का रकबा कम है । खसरा नम्बर 872 की भूमि 0.20 हैक्टर का हाल खसरा नम्बर 871 कायम कर सर्वथा गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई है । प्रार्थीगण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 11 उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज हैं । उक्त भूमि में अपीलान्ट का हित–निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से पीडित पक्षकार है । अतः प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 659 हाल खसरा नम्बर 872 के सहखातेदार हैं और वह प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.04.2009 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत दावे को डिक्री करने में त्रुटि की है । निर्णय को संशोधित कर दिनांक 15.10.2008 को

संशोधित डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 11 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 659 की 0.71 हैक्टर भूमि स्थित थी । राजस्व रिकॉर्ड में भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 11 उक्त भूमि के खातेदार दर्ज हैं । वादीगण ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 11 को पक्षकार बनाये बिना ही दावा पेश किया है और दावा डिक्री करवा लिया है जो त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 659 की 0.71 हैक्टर आराजी केचमेंट के उपरान्त की जाने वाली कटोती काटकर नये खसरा नम्बर 872 कायम करके 0.66 हैक्टर कृषि भूमि पूर्व खातेदारान प्रतिवादीगण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 11 को लौटानी थी लेकिन केचमेंट अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 11 को 0.66 हैक्टर के स्थान पर 0.35 हैक्टर कृषि भूमि कम करके लोटा दी और खसरा नम्बर 871 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि राजकीय सिवायचक कायम कर दी, जबकि वहॉ कोई राजकीय भूमि नहीं थी । मौके पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 11 का संयुक्त रूप से कब्जा है । समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य था जिनको नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 03 का निर्णय गलत रूप से किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2008 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 15.10.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 ने एक दावा हक घोषणा का एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और यह कथन किया है कि पुराना खसरा नम्बर 659 रकबा 0.71 हैक्टर की केचमेंट के उपरान्त की जाने वाली कटोती काटकर नये खसरा नम्बर 872 कायम करके रकबा 0.66 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण को लोटानी थी परन्तु केचमेंट के अधिकारियों ने 0.66 हैक्टर के स्थान पर 0.35 हैक्टर भूमि कम करके लौटाई है और खसरा नम्बर 871 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि राजकीय सिवायचक कामय कर दी है जबकि वहॉ कोई राजकीय सिवायचक भूमि नहीं थी । इस दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए डिक्री किया है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 659 के खातेदार वादीगण के अलावा अपीलान्ट रामकिशन वल्द छोटू, बाबूलाल, सीताराम पिसरान रामनाथ, लटूर, धन्ना, दामोदर, पप्पू पिसरान रामनारायण, उर्मिला चन्दा पुत्रियॉ रामनारायण, नाथी बेवा रामरतन, नाथी, घींसी, पार्वती पुत्रियॉ रामरतन, औंकार, पन्ना लाल, धन्ना लाल पुत्र विमला पुत्री व पुष्पा बाई बेवा घींसी सहखातेदार हैं । वादीगण के द्वारा समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना हक घोषणा का दावा पेश किया है जबकि इस दावे में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । इस क्रम में तनकी नम्बर 03 भी कायम की गई थी जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने विधि – विरूद्ध निर्णय पारित किया है ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । प्रकरण में केचमेंट के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया है ऐसी स्थिति में दावे की मेन्टेनिबिलिटी पर भी विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2008 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 15.10.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाते हुए उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । साथ ही पैरा नम्बर 13 में किये गये विवेचन के अनुसार दावे की मेन्टेनेबिलिटी भी प्रारम्भिक रूप से तय की जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.3.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा